RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 3 | Issue : 7 | July 2013 | ISSN - 2249-555X

राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाओं का अध्ययन

Rastriya Safai Kamgar vitta evam Vikas nigam, New Delhi dwara sanchalit yojnaoka adhyayan

KEYWORDS: Clean Milk Production, dairy farmers, knowledge, adoption

Dr. Harjindar Pal Singh Saluja
Professor (Commerce), Govt. V. Y.T. Auto, PG College Durg, Chhattisgarh, India.

Dr. Ravish Kumar Soni
Asst. Professor (Commerce), Kalyan Post Graduate College, Bhilai nagar, Chhattisgarh, India.

Smt. Sangita Sakvar Mahuriya
Asst. Professor (Commerce), Govt College Bhilai-3, Chhattisgarh, India.

Dr. Harjeet Singh Bhatiya
Professor (Commerce), Govt. Digvijay College Rajnangoan, Chhattisgarh, India.

भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जो अपने सामान्यतया और कमजोर वर्गों के विकास के लिए वचनबद्ध है। अपनी जनता को आय, स्तर और अवसरों की असमानता को न्यूनतम बनाने के लिए नियोजित विकास का आश्रय लिया गया और इसी के लिए अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई उनमें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम प्रमुख है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है। निगम की स्थापना 24 जनवरी 1997 को सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक विकास के मूलभूत उद्देश्य से की गई थी।

राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचरियों/स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के लाभ या पुनर्वास हेतु स्वरोजगार उद्यमों का बढ़ावा देना, सफाई कामगार समुदाय के छात्रों को ऋण उपलब्ध कराना, सफाई कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करना।

लाभार्थी प्रात्रता :– सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि आवेदक सफाई कर्मचारी वर्ग का हो एवं उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। प्रशिक्षण हेतु 17 वर्ष, वित्तीय सहायता हेतु आय की कोई सीमा निर्धारित नही की गई है, किन्तु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने, महिलाओं व विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है एवं आवेदक संबंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास की ऋण योजनाएं :– राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास की ऋण योजनाएं की लक्षित समूह को आर्थिक सहायता एवं अन्य सहायता के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप, लघु उद्योग, स्वच्छता आधारित उपकरणों एवं सेवाओं जिसमें परिवहन क्षेत्र भी शामिल है, के लिए ऋण योजनाएं इस प्रकार है :–

1. मियादी ऋण :– ऋण राशि 10 लाख रूपये।
2. लघु ऋण योजना :– रू. 5.00 लाख तक की परियोजना के लिए 20 लाभार्थियों के समूह को एंव व्यक्तिगत आधार पर प्रति लाभार्थी रू. 30000/– तक।
3. महिला समृद्धि योजना :– रू. 30000/– प्रति लाभार्थी। महिला अधिकारिता योजना – रू. 50000/– प्रति लाभार्थी
4. शिक्षा ऋण :– शिक्षा पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत वार्षिक
5. अन्य योजनाएं रू. 1.00 लाख तक

ब्याज दर :– 4 से 6 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है।

पुनर्भुगतान अवधि :– पुनर्भुगतान अवधि ऋण वितरण की तिथि से 3 माह के कियान्वयन समय के बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच है।

योजना का कियान्वयन :– राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित की गई राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्षित समूह के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :– सफाई कर्मचारी वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास द्वारा संचालित योजनाओं व वसूली का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं :– समाज के लक्षित वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के कियान्वयन से लक्षित समूह के आर्थिक विकास में सहायता मिली है।

शोध अध्ययन की विधि एवं योजनाएं :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास द्वारा वितरित ऋण व वसूली का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में वर्ष 2008 से 2011 तक के आकड़ों को लिया गया है जो कि 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली वर्ष 2010–11 से प्राप्त की गई है।

शोध अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :

तालिका कं. 1

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में राज्यवार संवितरण एवं लाभार्थियों का कवरेज निम्नवत है

कं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2009&10		2010&11		उपलब्धि का प्रतिशत 2009–10	उपलब्धि का प्रतिशत 2010–11
		वित्तीय (राशि लाख में)	भौतिक	वित्तीय (राशि लाख में)	भौतिक		
1.	बिहार	591.75	1738	1035.00	3900	9.75	24.17
2.	चंडीगढ़	8.51	16	0	0	00.08	0
3.	छत्तीसगढ़	216.00	800	0	0	4.49	0
4.	गुजरात	1024.92	1611	1628.94	4526	9.04	28.05
5.	हरियाणा	32.49	34	1.89	7	0.19	0.04
6.	हिमाचल प्रदेष	0	0	25.40	132	0	0.81
7.	जम्मू एवं कष्मीर	60.75	70	206.50	405	0.39	2.51
8.	झारखंड	313.75	1000	0	0	5.61	0
9.	कर्नाटक	1230.14	2357	1355.89	2604	13.23	16.13
10.	मध्यप्रदेष	2572.99	5748	1957.07	2962	32.27	18.35
11.	महाराश्ट्र	1795.73	3747	1497.01	831	21.03	5.15
12.	उड़ीसा	159.18	163	0	0	0.91	0
13.	पाण्डिचेरी	24.65	29	0	0	0.16	0
14.	पंजाब	49.50	55	79.20	88	0.30	0.54
15.	राजस्थान	336.99	443	411.43	680	2.48	4.21
	योग	8417-35	17811	8198-33	16135		

स्त्रोत : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010–11

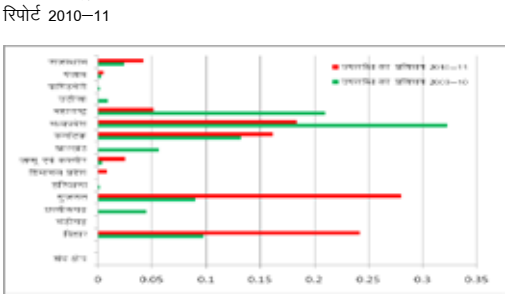

Volume : 3 | Issue : 7 | July 2013 | ISSN - 2249-555X

उक्त तालिका क्र. 1 को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010–11 में 16135 लाभार्थियों को राशि 8198.33 लाख वितरित किया गया। एवं 2009–10 में 17811 लाभार्थियों की 8417.35 लाख राशि वितरित की गई । वर्ष 2009–10 की तुलना में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पाण्डिचेरी, राज्यों को कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ एवं वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2009–10 में कम हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2009–10 में म0 प्र0 में सर्वाधिक 32.27 व वर्ष 2010–11 में गुजरात में सर्वाधिक 28.05 प्रतिशत उपलब्धि का प्रतिशत रहा।

तालिका कं. 2

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का विभिन्न योजनांतर्गत बकाया एवं वसूली की जानकारी

(राशि लाख में)

कं.	राज्य	31/3/2011 तक संकुल बकाया	31/3/2011 तक सकल वसूली	वर्ष 2010–11 के दौरान वसूली का प्रतिशत	31/3/10 तक सकल बकाया	31/3/2010 तक सकल वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्रप्रदेश	7311.86	8358.68	114	6934.79	5719.44	82
2.	आसाम	664.11	4.94	1	664.11	4.94	1
3.	बिहार	673.91	270.91	40	337.60	175.74	52
4.	चंडीगढ़	115.16	114.49	99	112.29	112.29	100
5.	छत्तीसगढ़	1201.86	1201.86	100	977.78	977.78	100
6.	दिल्ली	391.58	391.58	100	391.58	391.58	100
7.	गुजरात अजा/अजजा	847.29	806.50	95	847.29	806.50	95
8.	गुजरात सफाई	2916.39	3128.06	107	2131.23	1910.07	90
9.	हरियाणा	16.14	18.10	112	4.45	4.45	100
10.	हिमाचल प्रदेश	530.59	514.32	97	526.92	467.71	89
11.	झारखंड	181.34	180.34	99	178.25	173.92	98
12.	जम्मू एवं कश्मीर	333.54	231.80	0	281.35	191.53	68
13.	कर्नाटक	3090.93	2395.69	78	2378.30	1725.65	73
14.	केरल	21.69	21.69	100	21.69	21.69	100
15.	मध्यप्रदेश	5880.27	3059.30	52	3927.32	2845.21	72
16.	महाराश्ट्र	2807.96	1863.86	66	2112.87	1795.09	85
17.	मणिपुर	126.85	4.12	3	126.85	4.12	3
18.	मिजोरम	104.91	58.18	55	104.91	34.75	33
19.	मेघालय	1.18	1.17	99	1.18	1.17	99
20.	उड़ीसा	149.27	120.78	81	142.21	98.11	69
21.	पंजाब	212.06	212.06	100	168.49	168.49	100
22.	पाण्डूचेरी	140.34	87.06	62	123.68	87.06	70
23.	राजस्थान	1080.32	1036.68	96	939.32	895.43	95
24.	तमिलनाडु	999.07	487.65	49	999.07	487.65	49
25.	त्रिपुरा	159.40	77	48	159.40	60.94	38
26.	उत्तरप्रदेश	3697.22	2135.59	58	3436.54	2096.19	61
27.	उत्तराखंड	169.52	169.52	100	163.58	160.61	98
28.	पच्चिम बंगाल	130.58	130.90	100	124.47	124.47	100
	योग :	33955.34	27082.53		28317.32	21542.58	

स्त्रोत :– राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010–11

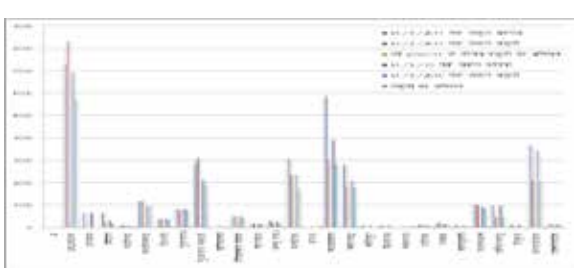

तालिका कं. 2 के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदाय ऋण राशि सभी 27 राज्यों में 31/03/2011 तक सकल बकाया 33955.34 करोड़ एवं वसूली की राशि 27082.53 करोड़ है एवं वसूली का प्रतिशत 80 प्रतिशत है। सभी राज्यों में वसूली का प्रतिशत अलग–अलग है। वर्ष 2010–11 में वसूली का तालिका अनुसार विश्लेषण निम्न प्रकार से है :–

1. 100 प्रतिशत से अधिक वसूली वाले राज्य आंध्रप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात सफाई, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल।

2. 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच वसूली वाले राज्य :– चंडीगढ़, गुजरात अ.जा./अ.ज.जा., हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान।

3. 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच वसूली वाले राज्य :– म.प्र., महाराष्ट्र, मिजोरम, पांडिचेरी, उत्तरप्रदेश।

4. 50 प्रतिशत तक वसूली वाले राज्य – बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा। कुछ राज्य जैसे आसाम, जम्मू–कश्मीर व मणिपुर की वसूली न के बराबर है।

कुछ राज्यों की वसूली वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 में बढ़ी है जैसे – आँध्रप्रदेश, गुजरात सफाई, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड एवं कुछ राज्यों जैसे – बिहार, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पांडूचेरी व उत्तरप्रदेश की वसूली कम हुई है।

हितग्राही की समस्याएं व सुझाव :– निगम द्वारा सफाई कामगार वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु हितग्राहियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है :–

1. ऋण प्राप्त करने हेतु कई कागजी औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है।

2. हितग्राही को गारंटर की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है सामान्यतः गारंटर किसी शासकीय सेवा में हो, भू–स्वामी हो, या किसी सम्पत्ति का मालिक हो।

3. हितग्राही को अंशधारी जमा करने में कठिनाई होती है क्योंकि हितग्राही की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है।

4. कभी–कभी ऋण काफी विलम्ब से प्राप्त होता है।

हितग्राहियों की समस्याओं को दूर किये जाने हेतु सुझाव निम्नानुसार है :–

1. ऋण वितरण की प्रक्रिया को लचीला करने से हितग्राही को ऋण प्राप्त करना सुगम होगा।

2. साथ ही अनावश्यक औपचारिकताओं को कम किया जाये।

3. यदि हितग्राही की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो अंशराशि की व्यवस्था निगम द्वारा किया जाये।

4. इस प्रकार की योजनाएं जो भविष्य में लाभदायक व व्यावहारिक को प्राथमिकता दी जाए।

5. साथ ही आवश्यकता है निष्ठावान व योग्य अधिकारियों की जो इन योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुँचाने के साथ–साथ योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता भरे कार्यक्रम चलायें।

निष्कर्ष :– निगम द्वारा समाज के लक्षित वर्ग सफाई कामगार एवं उनके आश्रितों के सामाजिक–आर्थिक विकास, पुनर्वास एवं उच्चतर स्तर पर व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है एवं उसका जीवन स्तर भी बढ़ा है किन्तु अध्ययन में यह बात सामने आई है कि योजनाएं तो अच्छी है परन्तु उनके कियान्वयन भी प्रभावी होना चाहिए ताकि लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुँच सके।

REFERENCE

1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010–11
2. उद्यमिता विकास केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल, सेनेटरी मार्ट योजना–2000
3. अनुसूचित जाति का विकास – दृष्टिकोण, नीतियां एवं कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।
4. छ.ग. राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर/मार्गदर्शिका/सफलता के सोपान ।
5. "भविष्य निर्माण के नये अवसर" स्वरोजगार की आर्थिक विकास योजनाएं, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर वित्तीय वर्ष 2010–11
6. पुस्तक "सफाई कामगार समुदाय" का सार्वजनिक वितरण डॉ. संजीव खुदशाह 2005/राधाकृष्ण प्रकाशन
7. प्रगति प्रतिवेदन 2009–10 छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर